

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 34 / 2018-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

लक्ष्मण मुण्डा

- विक्रेता

सीनी देवी

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

28.07.18

आदेश

आवेदक लक्ष्मण मुण्डा पिता स्व० सुन्दर मुण्डा ग्राम महुवाटोली, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने सीनी देवी पति सनिका मुण्डा ग्राम महुवाटोली, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के वि क्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।


ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
महुवाटोली	85	54	795	0.07


उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/ खतियान एवं लगान की रसीद सं० 2148474 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 653 दिनांक 23.07.18 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम शामु मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार लक्ष्मण मुण्डा वगैरह के नाम भूमि का रकबा 2.61 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 1.30 एकड़ अन्य खाता मौजा हुटुबदाग 1.32 एकड़ कुल 2.62 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2016-17 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 62557.00(बारसठ हजार पाँच सौ सन्तावन)रु० प्रति डीसमिल है। इस भूमि के वि क्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि वि क्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.55 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईंहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रेता - विक्रेता को भूमि क्रय - वि क्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण लक्ष्मण मुण्डा पिता स्व० सुन्दर मुण्डा को सीनी देवी पति सनिका मुण्डा के साथ ग्राम महुवाटोली के खाता सं० 54 खेसरा संख्या 795 का रकबा 0.07 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर दर 62557.00(बारसठ हजार पाँच सौ सन्तावन)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि वि क्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।